न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **34 / 2023** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/58

भेरूलाल पिता कमला डांगी निवासीः सराय, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 388 / 2023
दिनांक 06.02.2023

उपस्थित : श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 19/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 388 / 2023 आदेश दिनांक 06.02.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पटवार हल्का ढावा के ग्राम सराय की आराजी संख्या 1059 पर फसल बोकर नाजायज कब्जा किया है, अतिक्रमी घोषित कर, अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाकर लगान 4.00 का 50 गुणा से 200 / – अक्षरे दौ सौ रूपये शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय न्याय एवं विधि के अनुकूल नहीं है। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 01.02.2023 को जारी किये जाकर दिनांक 06.02.2023 को उक्त भूमि खाली करने या स्वयं द्वारा या प्लीडर द्वारा मुकाम वल्लभनगर में उपस्थित होने की सूचना दी गई। उक्त सूचना की पालना में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और उपस्थित बाबत् अधीनस्थ न्यायालय मे हस्ताक्षर भी करवाये थे। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ था और उसके केवल मात्र कुछ जगह खोली छोड़ी गई थी, उन जगहों को भरकर निर्णय पारित किया गया है जो

जिला कलक्टर
उदयपुर

निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इस मामले में अपीलान्ट को जवाब पेश करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट को उक्त नोटिस न्यायालय से दिनांक 01.02.2023 को जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, वल्लभनगर द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख से लेकर निर्णय सुनाने में केवल मात्र 4 दिन के अन्तर से प्रतीत होता है कि पक्षकार को नोटिस देना महज एक औपचारिकता थी और नोटिस ही निर्णय था। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुसार पक्षकारन को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बमुकदमा नम्बर 388/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2023 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को ग्राम सराय की आराजी संख्या 1059 पर अवैध कब्जेदार घोषित कर बेदखली एवं 200 रुपये अर्थदंड का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन के निर्णय दिया तथा अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने, जवाब प्रस्तुत करने एवं गवाह पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.02.2023 को नोटिस जारी कर मात्र चार दिन में निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बमुकदमा नम्बर 388/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2023 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम सराय की आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.2100 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 का नोटिस दिया जाकर सुनवाई की जाकर बेदखली का आदेश दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया बेदखली का आदेश उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार राजस्व ग्राम वाजमिया की आराजी संख्या 1059 रकबा 0.2100 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिवत नोटिस जारी किये गये, जिनकी अनुपालना में

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित दी गई। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु समय चाहा गया हो ऐसा कोई अंकन पत्रावली पर नही है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में उक्त भूमि पर स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा मौजा सराय की आराजी संख्या 1059 रकबा 0.2100 हैक्टेयर किस्म चारागाह (राजकीय भूमि) भूमि पर पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 388/2023 तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर